प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक- 08.09.2026

थाना छावनी पुलिस द्वारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाली अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

थाना छावनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.09.2026 को व्यक्ति द्वारा स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या करने के प्रकरण में आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण करने के संबंध में दिनांक-05.09.2026 को थाना छावनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-185/2026 धारा 103(1) BNS की घटना का सफल अनावरण करते हुए धारा 103(1) BNS का विलोपन करते हुए जुर्म धारा-108 BNS में तरमीम कर दिनांक-08.09.2026 को समय करीब 08:45 बजे **अभियुक्ता 1-** इन्द्रावती देवी पत्नी रामबहाल को ग्राम बबुरहवा स्थित उसके घर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया गया |

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1- इन्द्रावती देवी पत्नी राम बहाल निवासी ग्राम बबुरहवा थाना छावनी जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- घटना में प्रयुक्त आला शस्त्र 01 अदद अवैध कट्टा 315 बोर |

2- एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस |

घटना का विवरण-

दिनांक-03.09.2026 की शाम को थाना छावनी पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बबुरहवा में रामबहाल यादव पुत्र स्व0 रामधनी उम्र 50 वर्ष को संदिग्ध परिस्थिति में कमरे में गोली लगी है, जिस पर थाना छावनी पुलिस मय फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिक कार्यवाही किया गया, जिसके संबंध में दिनांक-05.09.2026 को मृतक के भाई मनबहाल पुत्र स्व0 रामधनी निवासी बबुरहवा थाना छावनी जनपद बस्ती द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर प्राप्त हुई कि मृतक राम बहाल पुत्र स्व0 रामधनी की हत्या उसकी दूसरी पत्नी इन्द्रावती व इन्द्रावती के पहले पति के लड़के सर्वेश व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0-185/2026 धारा 103(1) BNS पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन, बयान परिस्थितिजन्य साक्षी, बयान स्वतंत्र गवाह एवं अन्य संकलित साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि **1-**इन्द्रावती देवी की प्रताड़ना के कारण मृतक रामबहाल द्वारा स्वयं को गोली मार कर आत्महत्या किया गया था, जिसके आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा-103(1) BNS का विलोपन करते हुए जुर्म धारा-108 BNS में तरमीम कर दिनांक-08.09.2026 को समय करीब 08.45 बजे **अभियुक्ता 1-**इन्द्रावती पत्नी स्व0 रामबहाल यादव को ग्राम बबुरहवा स्थित उसके घर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया |

अपराध का तरीका-

तमामी विवेचना के क्रम में परिस्थिति जन्य साक्ष्य/ साक्षियों, सी०सी०टी०वी० फुटेज, बयान डाक्टर पीएमकर्ता, जांच फील्ड यूनिट आदि से पाया गया कि दिनांक-03.09.2026 को समय करीब 18:45 बजे अचानक रामबहाल के कमरे/ घर की तरफ से गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दिया, जिस आवाज के सुनाई देने के कुछ ही क्षण में मृतक रामबहाल की पत्नी **1-**इन्द्रावती काफी ऊंची आवाज में रोती, चिल्लाती-बिलखती हुई अपने घर से मृतक रामबहाल की बनी हुई दुकान की तरफ आई एवं वहां मौजूद दुकानदारों/ लोगों से बोली किं मेरे पति ने स्वयं ही गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है, जब घर में से बहुत तेज आवाज हुई तो कमरे में जाकर देखी कि मेरे पति ने खुद को गोली मार ली है, जिस पर आस-पास के लोग जाकर देखे कि राम बहाल के सिर से काफी खून निकल रहा था, जिस पर एम्बुलेस बुलाकर राम बहाल को सी०एच०सी० हर्रैया ले जाया गया, जहाँ पर डाक्टर द्वारा राम बहाल उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया था | मृतक के भाई द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि राम बहाल नशे का सेवन करते थे, जिसकी पत्नी **1-**इन्द्रावती उनसे कहती थी कि मैं अपनी जमीन बेचकर दुकान बनवाई और आप मेरा जेवर गिरवी रख दिये हैं | अपने बच्चों के लिए कुछ करिये, लेकिन राम बहाल काफी प्रयास के बाद भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए

कुछ नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी पत्नी काफी नाराज रहती और उल्टा-सीधा कहती थी, जिससे राम बहाल काफी कुंठित रहने के कारण शराब भी पीते थे और पत्नी से काफी परेशान व प्रताड़ित रहने के कारण कहा करते थे कि अब यही मन कर रहा है कि एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ जाऊं | मृतक राम बहाल घटना के दिन भी काफी शराब पिये थे, जिस पर उनकी पत्नी **1-**इन्द्रावती देवी अगर उन पर इतना दबाव नहीं बनायी होती तो वे तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या नहीं करते | अभियुक्ता **1-**इन्द्रावती के काफी दबाव पर रामबहाल ने इस तरह का कदम उठाया, जिस घटना घटित होने के बाद मृतक राम बहाल की पत्नी **1-**इन्द्रावती द्वारा डरवश कि वह कहीं फंस न जाये, घटना से सम्बन्धित शस्त्र को छुपा दिया था, जिस बात को **अभियुक्ता 1-**इन्द्रावती द्वारा स्वीकार किया गया जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाशस्त्र एक अदद तमंचा को बरामद कर अन्य आवश्यक कार्यवाही किया गया |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक छावनी राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह जनपद बस्ती |

2- व0उ0नि0 सत्येन्द्र यादव, उ0नि0 सभाजीत मिश्रा थाना छावनी जनपद बस्ती |

3- हे0का0 संदीप कुमार, का0 अभिषेक सिंह, का0 राजीव रंजन सिंह, का0 शिल्लू जायसवाल, म0का0 खुश्बु राठौर समस्त थाना छावनी जनपद बस्ती |